



Neutral Citation No-2026:AHC:8138

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी सं- 4946 वर्ष 2025

प्रशांत प्रकाश सिंह उर्फ राहुल सिंह याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: सुधीर कुमार सिंह

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता, रामेश्वर प्रसाद शुक्ला

न्यायालय सं- 54

माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश पाठक

1. स्थायी अधिवक्ता ने प्रतिपक्षी संख्या-3 से प्राप्त निर्देशों की प्रति आज न्यायालय में दाखिल की है, जिसे अभिलेखों पर लिया गया है। कार्यालय को तदनुसार आगे बढ़ने का निर्देश दिया जाता है।
2. पक्षों के अधिवक्ता को सुना।
3. याचिकाकर्ता चकबंदी अभियान के दौरान सार्वजनिक उपयोगिता भूमि की प्रविष्टियों और आयामों के संबंध में कुछ विसंगतियों से व्यथित है।
4. यह प्रस्तुत किया जाता है कि पहले सार्वजनिक उपयोगिता भूमि से संबंधित गलत प्रविष्टियों के संबंध में आई.जी.आर.एस. पोर्टल पर एक शिकायत दर्ज की गई थी। समेकन के निपटान अधिकारी (संक्षिप्तता 'एस.ओ.सी.' में), दिनांक 24.08.2024 के आदेश द्वारा, प्रविष्टियों को सही करने में अपनी अक्षमता दिखाई है और सार्वजनिक उपयोगिता भूमि का इस आधार पर मौके पर सीमांकन किया है कि उस पर फसलें खड़ी थीं। फसलों की कटाई के बाद भी आज तक एस.ओ.सी. द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 04.11.2025 को पेश किया गया बाद का अभ्यावेदन अभी भी विचाराधीन है।



5. स्थायी अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है यदि याचिकाकर्ता द्वारा पेश किए जाने वाले नए अभ्यावेदन के शीघ्र निपटान के लिए एस.ओ.सी. (प्रतिपक्षी संख्या-3) को निर्देश जारी किया जाता है।

6. इस परिप्रेक्ष्य में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस मामले को लंबित रखने के लिए कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं किया जाएगा, इसलिए, यह न्यायालय प्रस्तुत रिट याचिका को मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, प्रस्तुत रिट याचिका को अंतिम रूप से निपटाने के लिए उचित समझता है, जैसा कि प्रस्तुत रिट याचिका में उल्लेख किया गया है, याचिकाकर्ता को अपनी शिकायतों के बारे में एक नया प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता के साथ, जैसा कि प्रस्तुत रिट याचिका में कहा गया है, आज से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर प्रतिपक्षी संख्या-3 के सामने, जो कानून के अनुसार इस पर विचार करेगा और निर्णय लेगा, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से पांच महीने की अवधि के भीतर और साथ ही प्रस्तुत रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति, यदि कोई अन्य कानूनी बाधा नहीं है।

7. उपरोक्त निर्देश के साथ, प्रस्तुत रिट याचिका का अंत में निपटारा किया जाता है।

जनवरी 13, 2026

वीआर

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)